// Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

BID NOTICE No. RSPCB/2023-24/store/B/1

Online-Bid Document
For Various modification work is to be done in 10 Mobile Monitoring Units (ISUZU Car) of the department (RSPCB).

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone:0141- 2716804, 2716800 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Helpline No.: 0141-2716877
Website https://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

F8(318)/RSPCB/Store/PT-3/628 **Date:- 14.12.2023**

Notice Inviting Online Bids for Various modification work is to be done in 10 Mobile Monitoring Units (ISUZU Car) of the department (RSPCB). For the said work, e-bids are invited from interested specialized Fabricators/Coach/Van Engineers/Body Builders, the details of which are as follows :-

- Modification/Fabrication of Container Type Body on Isuzu V-Cross 5-Seater Vehicle.

Name & Address of Procuring Entity	Rajasthan State Pollution Control Board. Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 E mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Name & Address of the Admin Officer In-charge (OIC Admin)	Name : Jageshwar Sharma, EE, RSPCB Address : 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur- 302004 Email : store.rpcb@gmail.com
Period of online availability of Bid Documents (Start Date/ End Date)	Start Date: 15.12.2023 at 1800 Hours. End Date: 02.01.2024 at 1500Hours.
Approximate Cost of Bid	Rs 16,50,000/- (Sixteen Lakh Fifty Thousand Rupees).
Tender Document Fee	Rs 500/- (Rupees Five Hundred Only) plus GST 18% in favour of Member Secretary, RSPCB, Jaipur
Processing fee Rs.	Rs 500/- (Rupees Five Hundred Only) plus GST 18% in favour of Managing Director, RISL, Jaipur
Earnest Money Deposit	Rs 33,000/- (i.e., 2% of Cost of Bid)
Date and time for Pre-bid query	Date and Time: 21.12 .2023 at 1200 Hours. Pre-bid query can be sent online through e-mail at: member-secretary@rpcb.nic.in
Manner for submission of Bids	http://eproc.rajasthan.gov.in
Website for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc.	https://sppp.rajasthan.gov.in/ http://www.environment.rajasthan.gov.in http://eproc.rajasthan.gov.in
End Date for submission of Bids i.e., Bid Submission Date	End Date: 02.01.2024 at 1500 Hours
Date and Time of opening of Technical Bid	Date: 03.01.2024 at 1500 Hours
Date and Time of opening of Financial Bid	Will be decided later
Language	• This Bid Document has been issued in Hindi language • Bids shall be submitted in English/ Hindi • All correspondence exchange shall be in English/Hindi language
Bid Validity	90 days from the bid submission deadline
Preparation of Bids	The Bids shall comprise of both Technical Bid & Financial Bids

Note:

I. The Member Secretary (Procuring Authority), RSPCB, Jaipur reserves the right to accept or reject any Bid, and to cancel the bidding process and reject all Bids at any time prior to award of contract, without assigning any reason.

II. The detailed terms & conditions with specifications of equipment/instruments and bid document may be down loaded from website as mentioned above. The provisions of RTPP Act, 2012 & Rules, 2013, there to shall be applicable for this procurement, further move, in case of any inconsistency in any of the provision of these bidding documents with the RTPP Act 2012, & Rules 2013, there to the later shall prevail.

Member Secretary

Vijai N.
Member Secretary

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

विस्तृत बोली प्रपत्र एवं शर्तें, अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय तक वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। बोली प्रपत्र को निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में मय दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर http://www.eproc.rajasthan.gov.in अंतिम तिथि एवं समय तक अपलोड करना होगा।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसिंसिग शुल्क तथा बोली प्रतिभूति एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा करवाने हेतु ई ग्रास पोर्टल पर विभाग का नाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का चयन किया जावे। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाये जाने की पूर्ण प्रकिया दी गयी है। बोली के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका के निवारण/स्पष्टीकरण हेतु प्री बिड बैठक दिनांक 21.12.2023 को 12.00 PM पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर पर आयोजित की जावेगी। इच्छुक निविदादाता उक्त बैठक में भाग ले सकते है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर एवं विभागीय वेबसाईट https://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html.html पर देखी जा सकती है।

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

परिशिष्ट–'अ'

ई–बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्तें

नोटः– बोलीदाताओं को शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसिंसिग शुल्क तथा बोली प्रतिभूति एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति के चालान को भी ई–बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है। निर्धारित बोली शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेंगी। बोली शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क सदस्य सचिव, रा.रा.प्र.नि.मं., जयपुर तथा RISL अथवा MD RISL के नाम से तथा इन पर 18% GST की राशि भी जमा कराना आवश्यक होगा।
2. बिडदाता द्वारा बिड के अनुमानित मूल्य का 2% राशि EMD के रूप में राशि डी.डी. अथवा अन्य प्रकार से सदस्य सचिव, रा.रा.प्र.नि.मं., जयपुर के नाम से अथवा राज्य मण्डल के खाते में जमा कराना अनिवार्य है। EMD राशि अनुमानित मूल्य का 2% होगी तथा EMD राशि में छूट RTPP नियमों के अनुसार पत्र बिडदाता को देय होगी।
3. ई–बिड के संबंध में सफल बिडदाता द्वारा बिड की सिक्यूरिटी राशि कार्य की लागत राशि का 5% प्रति राशि जमा निर्धारित समय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
4. क्वालिफाईंग बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) खोलने की नवीनतम जानकारी वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
5. जो बोलीदाता ई–बोली में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक ई–बोली प्रस्तुत कर सकते है।
6. बोली आमंत्रण सूचना के लिए ई–बोली, संबंधित आईटम के इच्छुक **Specialized fabricators/Coach/Van engineers/Body builders** द्वारा दी जाऐगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट–'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर अपलोड किये जायेंगे।
7. फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 25 लाख रूपये होना चाहिए। इस हेतु बोलीदाता फर्म को चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किया गया टर्नओवर से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें सी.ए. के रजिस्ट्रेशन न., UDIN No. तथा Blance Sheets/ITR अंकित हों, ई–बोली के साथ अपलोड करना होगा।
8. बोलीदाता को किसी भी उपापन संस्था (Procurement Entity) द्वारा Blacklisted (काली सूची) एवं Debarred (विवर्जित) किया हुआ नही होना चाहिये न ही उक्त आईटम की आपूर्ति में विभाग के समक्ष विवाद विचाराधीन होना तथा न ही विवाद के फलस्वरूप वाद दायर होना चाहिए। इस हेतु बोलीदाता को प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये बोलीदाता को भारत सरकार द्वारा जारी UAM की छायाप्रति ई–बिड के साथ अपलोड करेंगे।
10. बोली के साथ बोलीदाता वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं आयकर विभाग के पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति स्कैन कर अपलोड करेंगे।
11. बोलीदाता को परिशिष्ट 'ब' पर क्वालिफाईंग बिड के बिन्दु (xiii) में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं की पूर्ति करनी होगी एवं तदनुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

12. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ होना आवश्यक है।
13. दरों की वैधता–प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
14. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहत (Forfeit) कर लिया गया है तो बोली लगाने वालो को उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से 3 वर्ष से अधिक कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज या प्रमाण–पत्र बोली जमा करवाने की अंतिम तिथी को वैद्य होने चाहिए। तथा कोई भी दस्तावेज प्रमाण–पत्र जारी एवं कुटरचित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो बोलीदाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् विभाग द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज बोलीदाता को यथासमय प्रस्तुत करने होंगे।
16. बोलीदाता विभागीय बोली एवं संलग्न परिशिष्टों एवं अनुलग्न को का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्टों एवं अनुलग्नको में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नही की जावेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप समस्त परिशिष्ट एवं अनुलग्नक डाउनलोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ स्केन कर अपलोड करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरित कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी। ई–बोली में उसके आगे के चरण को नहीं खोला जावेगा।
17. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर भी विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है। या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछिनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
18. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकें।
19. विभाग द्वारा उपापन में अंकित आईटम की मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
20. बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'ब' में वांछितानुसार प्रमाण–पत्र / दस्तावेज बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने है।
21. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जायेगी। तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य / सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

    (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार / भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा, तब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सभी को बाध्य करेगी। तथा संविदा किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
22. **<u>जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीएसटी रिर्टन</u>**
    I. कोई भी डिलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदात द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जायेगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
    II. यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म में कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो जीएसटी की दर अलग से दर्शानी / बतानी होगी। नियमानुसार देय जीएसटी पर समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से टीडीएस काट कर ही भुगतान किया जावेगा।

23. जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र में निविदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। जिससे यह स्पष्ट हो की वह निविदत्त वस्तु में व्यापार करता है।
24. बोलीदाता को बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप समस्त परिशिष्ट एवं अनुलग्नकों पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त बोली के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
25. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने व असफल रहता है तो व उस वित्तीय वर्ष से अगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलीयों में भाग लेने के लिये योग्य नही होगा।
26. **दरें:–**

I. बोली में दरें शब्दों एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं परिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

II. बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेंगीः–

क. इकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य प्रभावी (prevail) होगा। अर्थात इकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा। और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक की बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

ख. यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (prevail) होगें और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

ग. यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक की शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितिय त्रुति से संबंधित ना हो।

ऐसे मामलों में उपयुक्ति खण्ड (क) और (ख) के अध्याधीन न रहते हुये अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

III. बोली में दर अंकित करते समय जीएसटी अलग से अंकित की जावे व जीएसटी की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावें। अस्पष्ट वाक्य जैसे ''टैक्स पैड'' कर सहित ''एज एप्लीकेबल'' का प्रयोग नहीं किया जावें। टैक्स में रियायत मिली हुयी है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इस का प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा जीएसटी में कालान्तर में बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

IV. बोली में दरें परिशिष्ट 'ई' में अंकित व स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं गंत्वय स्थान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर तक एफ. ओ. आर. अंकित की जानी चाहिए तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषगिक (incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नही लिया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर पर की जावेगी।

V. बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावें।

VI. सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त निविदा मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

VII. सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

VIII. विभागीय सप्लाई अविध के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।

IX. बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है (नेगोशियेशन के अतिरिक्त) तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

X. बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु निविदा दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

XI. बोलीदाता को तकनीकी निविदा के साथ परिशिष्ट–'एफ' में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त समस्त Modification संबंधी कार्य ARAI (Automobile research association of India) द्वारा तय मानदण्डों के अनुसार करवाया जावेगा एवं कार्य का प्रमाणीकरण ARAI से करवाकर प्रमाण–पत्र आपूर्ति के साथ प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

27. बातचीत (Negotiation):–

I. जहां तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम दर प्रदाता/अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

क. जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो।

या

ख. जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

II. न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

28. **बोली की विधि मान्यता:–** दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Resaponsive Bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

29. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक उवं ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

30. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेगा या उप भाडे (Sub-Let) पर नही देगा।

31. **स्पेसिफिकेशन:–**

I. प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट ई में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो में जहां कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नही हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रशासन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

II. यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

III. बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'ई' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

32. **माल की सप्लाई:–**

I. कार्यादेश दिये जाने के उपरान्त बोलीदाता द्वारा जीपों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर मुख्यालय से वर्कशॉप तक ले जाने एवं कार्य पश्चात् वापस लाने संबंधी समस्त कार्य स्वयं के व्यय पर करना होगा। उक्त कार्य निविदा में स्वीकृत दरों में ही शामिल माना जावेगा। समस्त मोडिफिकेशन कार्य सदस्य सचिव द्वारा नियुक्त अधिकारी की निगरानी एवं निर्देशानुसार किया जावेगा। मोडिफिकेशन कार्य किये जाने के पश्चात् मण्डल मुख्यालय द्वारा जीपों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफुट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

II. यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

III. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरें FOR राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर मान्य होगी।

IV. उक्त समस्त Modification संबंधी कार्य मण्डल द्वारा तय मानदण्डों के अनुसार होना चाहिये। बोलीदाता द्वारा उक्त कार्य का प्रमाणीकरण/निरीक्षण मण्डल क्रय कमेटी से करवाकर प्रमाण पत्र आपूर्ति के साथ प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाणीकरण के अभाव में मण्डल द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा।

33. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqulification) होगी।

34. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period):–**

I. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी वह कार्यादेश से 90 दिवस की अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा।

II. फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नही करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण, सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नही बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

III. निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहॅा प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था सप्लाई अवधि आगे की बढा सकेगी।

35. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)**

I. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम प्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

II. अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में ही गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया

गया था। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

36. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजनः–** सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी। जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा। जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर निष्पक्ष (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

37. **करार एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि (Agreement and Performance Security):–**

1. **(अ)** निविदा सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 कार्यदिवस में राशि रू. 1000/– स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबंध करार निम्न प्रकार किया जावेगाः–

   I. यदि निविदा निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) द्वारा दी गई है तो अनुबंध स्वयं निर्माता द्वारा अभिलिखित किया जावेगा।
   II. यदि निविदा निर्माता/वास्तविक निर्माता के अधिकृत डीलर द्वारा दी गयी है जिसे विशे
   III. तो अनुबंध करार वास्तविक निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दी गयी है तो अनुबंध करार वास्तविक निर्माता के द्वारा किया जावेगा एवं निविदा के साथ वांछित सभी प्रपत्र निर्माता के द्वारा ही प्रस्तुत किये जायेंगे।
   IV. करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नही करने पर राजस्थान लेक सेवाओं में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

(ब) (i) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए तत्समय प्रभावी राजकीय नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निर्धारित समय में एवं निर्धारित रूप में जमा करानी होगीः–

(ii) उक्त सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) उक्त सुरक्षा राशि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगीः–

क. ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा

ख. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक

ग. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड़) किसी अनुसूचित बैंक की नियम जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

2. खण्ड ख से ड़ के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदा संबंधी बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 60 दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. संविदा को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (outstanding dues) नही है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में कार्य आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

4. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit)</u>:– सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब निविदादाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

5. निविदादाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः–

(क) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deep) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

6. साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में निविदा एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने संबंधी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

38. **<u>बीमाः–</u>**निविदादाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दिशा में सुपुर्द किये जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नही की जाऐगी।

39. **<u>भुगतानः–</u>**

i. सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाऐगा।

ii. माल के भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) निविदा दाता द्वारा वहन किए जावेगे।

iii. विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

iv. उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे।

v. संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल निविदा दाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

vi. जीएसटी नियमों के अनुसार जीएसटी पर टीडीएस काटकर भुगतान किया जायेगा।

vii. **<u>परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damage):–</u>** परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा हैः–

a) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए–2.5 %
b) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए–5 %
c) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए–7.5 %
d) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अवधि के विलम्ब के लिए–10 %
e) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
f) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 % होगी।
g) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
h) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोटः– प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

वसूलियॉः– परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट–फूट रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (L.D.) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्यसम्पादन प्रतिभूति से की जायेगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

40. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
41. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा। किसी भी स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
42. विभाग के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या निविदा सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
43. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।
44. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के संबंध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
45. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपयां मान्य नही होगी।
46. बोली के साथ सभी वांछित <u>दस्तावेज/प्रमाण–प</u>त्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

47. उक्त शर्तें के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देश / परिपत्र / नियम निविदा के भाग के रूप में समझे जावेंगे।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
राजस्थान, जयपुर

मैने / हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर,
बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
(बोली प्रपत्र – क्वालीफाईंग बिड)
परिशिष्ट ''ब''
घोषणा

ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2023–24 दिनांकः–

i. 10 Moblie Monitoring unit (Isuzu car) में विविध Modification Work करवाने हेतु ई– बोली (e-Bid)

ii. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूर्ण पता ....दूरभाष. न. मोबाईल न., फैक्स नम्बर ई–मेल सहित :–...

iii. बोली जिसे प्रस्तुत करनी हैः– राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर

iv. सन्दर्भः– ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 02/2022–23 दिनांक...................

v. बोली प्रपत्र शुल्क रू– राशि 500/– रूपये चालान न.. दिनांक..................द्वारा जमा करा दी गई है।

vi. प्रोसेसिंग फीस रू– राशि 500/– रूपये चालान न.. दिनांक..................जमा करा दी है।

vii. हम ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2023–24 दिनांक..................... में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्टों में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। उक्त परिशिष्टों के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण–स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा दोनों परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न हैं।

viii. हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा ई–बोली सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त कार्य पूर्ण कर सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

ix. हम सम्पुष्टि करते है कि ''प्राईस बिड'' में अंकित की गई दरें ''प्राईस बिड'' खुलने की तिथि से 180 दिन तक विधि मान्य होगी।

x. हम सम्पुष्टि करते हैं कि ''प्राईस बिड'' में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट ''ई'' में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं ।

xi. हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या .... है।

xii. हम सम्पुष्टि करते हैं कि ''प्राईस बिड'' स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादन करेगें, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

xiii. हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है।

// Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

S. No.	Type of Certificate & Other information's	Yes/No	Date of issue /Validity
1.	Whether Bid document fee e- challan copy is submitted with e-Bid. Provide detail of e-Challan no. .... dt............. (Hard Copy Should be Submitted personally or by post separately.)		
2.	Whether Bid processing fee e- challan copy is submitted with e-Bid. Provide detail of e-Challan no.......... dt............. (Hard Copy Should be Submitted personally or by post separately.)		
3.	Whether Bid security challan copy is submitted with e-Bid. Provide detail of e- Challan no.......... dt........ (Hard Copy Should be Submitted personally or by post separately.)		
4.	Whether bidder agreed with all Bid conditions		
5.	Whether All schedules and Enclosures have been downloaded, signed and submitted with e-Bid		
6.	Whether GST registration certificate is submitted with e-Bid		
7.	Whether Income Tax PAN CARD Copy is submitted with e-Bid		
8.	Whether latest copy of GST return is submitted with e-Bid		
9.	Whether Turnover of Financial Year 2019-20, 2020-21, 2021-22 is Rs. 25Lacks or more. Certificate (issued by CA) is Submitted with e-Bid.		
10.	Whether Udyog Aadhar memorandum (UOM) submitted or not. (If required)		
11.	Whether Certificate of firm regarding of not pending action of Blacklist, debarment and legal action in any Govt Deptt/PSUs is submitted in e-Bid		
12.	Whether Affidavit (in Annexure F) regarding assurance that all modification work shall be done as per norms of ARIA and necessary certification from ARIA shall be presented with supply. All charges against that, shall be borne by bidder		
13.	Bidder should be provide local workshop location		

xiv. हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया।

xv. हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई–बोली में निर्धारित तरीके BOQ (Excel Sheet) में प्रस्तुत की गई है।

नोटः–

1. परिशिष्ट ''ब'' क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र/परिशिष्ट, अनुलग्नक डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई– बोली के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।
2. परिशिष्ट ''स'' प्राईस बिड है उसे ई– बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
परिशिष्ट ''स''
(बोली प्रपत्र – प्राईस बिड)

ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2023–24 दिनांकः–

1. 10 Moblie Monitoring unit (Isuzu car) में विविध Modification Work करवाने हेतु ई– बोली (e-Bid)
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूर्ण पता ....दूरभाष. न. मोबाईल न., फैक्स नम्बर ई–मेल सहित :–...
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है:– राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
4. सन्दर्भ:– ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2023–24 दिनांक...................
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी :–
   i. परिशिष्ट ''ई'' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम का नाम :– 10 Moblie Monitoring unit (Isuzu car) में विविध Modification Work
   ii. मोडिफिकेशन कार्य हेतु जीपों की संख्या:–10 मोबाईल मॉनिटरिंग यूनिट (Isuzu car)
   iii. दरें – एफ.ओ.आर. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर हेतु प्राइस बिड BOQ में प्रस्तुत की गई है।

दरें :– ई–बिडिंग के निर्धारित फोरमेट BOQ (Excel Sheet) में ही दी जावें।

नोट:–

1. अस्पष्ट वाक्य जैसे – टैक्स पेड, कर सहित, एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे ।
2. जीएसटी/एसजीएसटी/सीजीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईस बिड के साथ संलग्न करें ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

परिशिष्ट ''द''

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने / हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका / उनके लिए मैं / हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत /मध्यम / लघु) / थोक विक्रेता / ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटरध्सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेण्ट / चौनल पार्टनर / प्राधिकृत डीलर / Specialized fabricators/Coach/Van engineers/Body builders हूँ/ हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ.ब.स. ई एवं एफ, तथा बोली आमंत्रण को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूँगा/ करेंगे। और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावें तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

परिशिष्ट "एफ"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने / हमने समस्त निविदा शर्तों को भंलीभांति पढ़कर समझ लिया है एवं उन समस्त शर्तों से आबद्ध रहना स्वीकार करते हैं। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूँगा / करेंगे। और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते है।

मेरे / हमारे द्वारा Modification संबंधी कार्य निविदा में चाहे अनुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा तय मानदण्डों के अनुसार किया जावेगा। मेरे/ हमारे द्वारा उक्त कार्य का प्रमाणीकरण स्वयं के खर्च पर मण्डल से करवाकर प्रमाणपत्र आपूर्ति के साथ प्रस्तुत कर दिया जावेगा। उक्त प्रमाणीकरण के कार्य हेतु मेरे / हमारे द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान की मांग नहीं की जावेगी।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावें तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

परिशिष्ट ई

Modification/Fabrication of Container Type Body on Isuzu V-Cross 5 Seater

Work - SPECIFICATION

- 16/18g profile sections for superstructure up to the bottom of ready body
- 20 g GI Exterior up to the bottom of ready load body
- 22 G GI Sheets Paneling for complete interior.
- Door on rear side and heavy-duty locking system (Open Upper Side with Jacks)
- 12 MM bwp ply and vinyl flooring
- Rear body tharmacol insulation
- Painting the full vehicle in PU paint from Exterior and Interior with Synthetic Enamel Paint.
- All joints filling with PU silicon.
- Both side letter writing with monogram(checkmate)
- 1 nos 12 volt led light
- All material used shall be of standard quality
- 4 nos belt for fixing of equipment.

Size:-
Inner Side height-50"
Outer widget-69" (as per original company fitted Dala Body)
Outer length 69" (as per original company fitted Dala Body)

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

परिशिष्ट G

Financial Bid (BOQ)

Date:
Notice Inviting Tenders No.:

Tender Inviting Authority: Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
Name of Work: Various modification work is to be done in 10 Mobile Monitoring Units (ISUZU Car) of the department (RSPCB).
Name of Firm/Company: -

S.No	Description of work	Qty	Rate	Value
1	Modification/Fabrication of Container Type Body on Isuzu V-Cross 5-Seater): - • 16/18g profile sections for superstructure up to the bottom of ready body • 20 g GI Exterior up to the bottom of ready load body • 22 G GI Sheets Paneling for complete interior. • Door on rear side and heavy-duty locking system (Open Upper Side with Jacks) • 12 MM bwp ply and vinyl flooring • Rear body tharmacol insulation • Painting the full vehicle in PU paint from Exterior and Interior with Synthetic Enamel Paint. • All joints filling with PU silicon. • Both side letter writing with monogram(checkmate) • 1 nos 12 volt led light • All material used shall be of standard quality • 4 nos belt for fixing of equipment. • All other standard work required for modification / fabrication of motor body. **Size**:- Inner Side height-50" Outer widget-69" (as per original company fitted Dala Body) Outer length 69" (as per original company fitted Dala Body)	10		
	Total			

Total Value (in Words): Rs /-

Name
In the capacity of:
Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of
Date__
Signed_ Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of______ Date__

अनुलग्नक 'अ'

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any and
h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest: -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member

Helpline No.: 0141-2716877

अनुलग्नक 'ब'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………… for procurement of …………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated…………. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rulesa and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

अनुलग्नक 'स'

Grievance Redresasal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ………………………….....

The designation and address of the Second Appellate Authority is ………………………….....

1. Filling an appeal …………………………………………………………………………………………………… If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rulesa or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings. Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

a) Determination of need of procurement.
b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
d) Cancellation of a procurement process.
e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal
    a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
    b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
    c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
6. Fee for filing appeal
    a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
    b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
7. Procedure for disposal of appeal
    a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
    b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
        i. hear all the parties to appeal present before him: and
        ii. Peruse of inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
    c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
    d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141- 2716804, 2716800 e-mail: member
Helpline No.: 0141-2716877

FORM No.1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……………………………………………………… of ………………………………………………………………..

Before the ………………………………………………………….........................(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   i. Name of the appellant:
   ii. Official address, if any:
   iii. Residential address:
2. Name and address of

the respondent(s) (i)

(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: …… ……… ……………………………………………………………………………….. (Supported by an affidavit)
7. Prayer:

………

………

………

Place………………………………

Date……………………………..